

फर्द अहकाम

स्थान सहायक कलक्टर, कोटपूतली
 बनाम सज्जद
 नम्बर 185/2015
 संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1). 02. 23	<p>पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी ने आदेशिका पर अंकन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की आवना से पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इस लिये प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण पर आगे कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार है।</p> <p>सहायक कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)</p> <p><i>[Signature]</i> सदस्य लोक अदालत कोटपूतली, जिला-जयपुर (राज्य)</p>	<p>मान्यवर, उक्त प्रकरण का लोक अदालत की आवना चलाना नहीं चाहता। प्रकरण में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><i>[Signature]</i> जुमला (जयपुर) 11. 2. 2023</p>

[Signature]
लोक अदालत
कोटपूतली, जिला-जयपुर (राज्य)